न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 08/2021 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.
छीतर पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुमेल कलां तहसील बसवा जिला दौसा राज0
... प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, योजना कियान्वयन इकाई दौसा जरिये परियोजना निदेशक, कार्यालय रावत पैलेस के पास, आगरा रोड दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री चरण सिंह डोई, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामचरण शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम सुमेल कलां के खसरा नंबर 16 से 18 के पारित के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि एन. एच. 148 एन के दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस–वे में तहसील बसवा में स्थित भूमि व निर्माण को अवाप्त किये जाने के संबंध में राजपत्र भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर प्रार्थीगण की भूमि वाके ग्राम सुमेलकलां मे स्थित खसरा नम्बर 16, 17, 18 के सहारे बनी पक्की दीवार को अप्रार्थी संख्या एक ने अवाप्ति की कार्यवाही करते हुए अवाप्त कर दिनांक 20–11–202 को अधिनिर्णय आदेश पारित कर पंचाट पारित कर राजस्थान सरकार के हित में पंचाट पारित कर दिया जिससे प्रार्थी व्यथत होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी खातेदार कृषक की भूमि खसरा नम्बर 16, 17 व 18 ग्राम सुमेलकलां तह० बसवा जिला दौसा में स्थित है, जिसकी सुरक्षा हेतु प्रार्थी ने पुख्ता पक्की दीवार साढ़े 4 फीट ऊँची जो कि 150 फीट लम्बाई में प्रार्थी ने अपने निजी खर्चे पर निर्माण करवाया था। निर्माण की स्वीकृति उपजिला कलेक्टर बांदीकुई के आदेश क्रमांक 648 दिनांक 7–8–2000 [illegible] तहसील बसवा के आदेश क्रमांक राजस्व/99/23 दिनांक 29–1–1999 [illegible] ति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति प्रदान होने के बाद प्रार्थी [illegible] म्बर 31/1278 के सहारे प्रार्थी की स्वंय की खातेदारी भूमि [illegible], 18 की सुरक्षा हे[illegible] 4 फीट ऊँची दीवार पक्की का निर्माण करवाया गया। एन. [illegible] 148 एन. के. दिल्ल[illegible]दरा एक्सप्रेस–वे द्वारा प्रोपर्टी वेल्युवेशन रिपोर्ट तैयार की गई उसमें प्रार्थी की सम्पत्ति बाउण्डरीवाल का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रोपर्टी कोड डी.बी. 261 कायम किया जाकर अवाप्त अधिकारी द्वारा प्रार्थी की लगभग 27.94 मीटर लम्बाई दीवार को अधिग्रहण करके प्रार्थी की सम्पत्ति की प्रोपर्टी वेल्यु 40,478/–रूपये कायम कर राजस्थान सरकार के हित में अवार्ड पारित कर दिया। जबकि उक्त बाउण्डरी वाल प्रार्थी स्वंय ने अपने खर्चे पर अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 16, 17, 18 के सहारे उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई व तहसीलदार बसवा के आदेश के अनुसार तैयार की गई थी लेकिन अवाप्ती अधिकारी ने प्रार्थी की उक्त सम्पत्ति का अवार्ड राजस्थान सरकार के हित में पारित कर दिया जो कानूनन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त निर्मित संरचना का अवार्ड दिलवाने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रार्थी को नही दिया गया प्रार्थी को उक्त अवार्ड राशि राज्य सरकार को अदा किये जाने बाबत कोई जानकारी पूर्व में नही हो सकी दिनांक 21–1–2021 को प्रार्थी भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हुआ और अवार्ड राशि के बारे में जानकारी की तो पता चला कि प्रार्थी की निर्मित संरचना डी. बी. 261 की मुआवजा राशि 40478/–रूपये का अवार्ड राज्य सरकार के हित में पारित कर दिया जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 21–1–2021 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनांक 21–1–2021 को प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश दिनांक 20–11–2027 जो कि राजस्थान सरकार को अवार्ड राशि दिये जाने का आदेश पारित किया है, को निरस्त फरमावें तथा प्रार्थी के द्वारा निर्मित संरचना बाउण्डरी वाल कोड डी.बी. 261 की मुआवजा राशि 40,478/– रूपये की दुगुनी राशि 81,000/– रूपये की राशि भूमि अवाप्ति कानून के अन्तर्गत प्रार्थी को दिलवाये जाने के आदेश फरमावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के (दिल्ली–बडोदरा ऐक्सप्रेसवे) के 149.00 कि.मी. से 170.800 कि.मी. तक के भू–खण्ड के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या का. आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018, अधिसूचना संख्या का. आ. 4110 (अ) दिनांक 21.08.2018 व अधिसूचना संख्या का.आ. 3810 (अ) दिनांक 31.07.2018 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राजमार्ग संख्या 148 एन के 149.00 कि.मी. से 170.8 कि.मी. तक (दिल्ली–बडोदरा ऐक्सप्रेसवे) के निर्माण (चौडीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4114 दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना का.आ. 4114 दिनांक 21.08.2018 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 (क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया जो निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

कसं	जिले का नाम	ताल्लुका का नाम	गांव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल है0 में
25	दौसा	बसवा	सुमेलकलां	16	निजी	बारानी–1	1.05
26	दौसा	बसवा	सुमेलकलां	17	निजी	बारानी–1	0.73
27	दौसा	बसवा	सुमेलकलां	18	निजी	बारानी–1	0.73
38	दौसा	बसवा	सुमेलकलां	31/1278	सरकार	गै0मु0रास्ता	0.13

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3सी के अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अर्न्तगत आपत्तियों प्रस्तुत की गई उन्हे पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 556 (अ) दिनांक 30.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों समाचार जगत व राजस्थान पत्रिका दोनों में दिनांक 08.02.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया।

जिले का नामः दौसा तालुका का नामः बसवा गांव का नामः सुमेल कलां

कसं	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1086	16	निजी	बारानी–1	0.0293	कोयल पुत्री श्यदान हिस्सा 4 / 75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, गुल्ला पुत्र नन्दा हिस्सा 4/15 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार गोपाल पुत्र नन्दा हिस्सा 4/15 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, छीतर पुत्र श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, तोफली पुत्री श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार भोली देवी पुत्री पुत्री श्योदान हिस्सा 4 / 75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, रमकी देवी पत्नी स्व. श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार समारथा पुत्र नन्दा हिस्सा 1/5 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार
1087	17	निजी	बारानी–1	0.4449	कोयल पुत्री श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, गुल्ला पुत्र नन्दा हिस्सा 4/ 15 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार गोपाल पुत्र नन्दा हिस्सा 4/15 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, छीतर पुत्र श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, तोफली पुत्री श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार भोली देवी पुत्री श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, रमकी देवी पत्नि स्व. श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार समारथा पुत्र नन्दा हिस्सा 1/5 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

1088	18	निजी	बारानी–1	0.4295	कायल पुत्रा श्योदान हिस्सा 4 / 75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, गुल्ला पुत्र नन्दा हिस्सा 4 / 15 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार गोपाल पुत्र नन्दा हिस्सा 4/15 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, छीतर पुत्र श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, तोफली पुत्री श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार भोली देवी पुत्री पुत्री श्योदान हिस्सा 4 / 75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार, रमकी देवी पत्नी स्व. श्योदान हिस्सा 4/75 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार समारथा पुत्र नन्दा हिस्सा 1/5 जाती गुर्जर सा. देह खातेदार
1098	31/1278	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.059	राजस्थान सरकार

उक्त अधिसूचना के पश्चात अधिग्रहित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी 3 ए अधिसूचना में वाके ग्राम सुमेलकलां तहसील बसवा जिला दौसा के अवाप्त रकबे के बाबत् अधिसुचना प्रकाशित की गई। उक्त आराजी के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित हितधारियों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बाबत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा 3डी की अधिसुचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसुचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिग्रहित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3डी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण. रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित मकान आदि परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 (जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि/निर्माण की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। अवार्ड की राशि का भुगतान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया कि अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की धनराशि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं जिसके के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/ सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से [illegible] अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 [illegible] सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई गयी जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा [illegible] और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों आदि का मुआवजा निर्धारण [illegible] ARR 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परि[illegible]त्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण (Solatium) आंगणित करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया है। जो परिसम्पत्तियों सरकारी भूमि में स्थित है, उन पर तोषण (Solatium) देय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

अधिकारी द्वारा भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग (च्व्क) से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई के आधार पर स्ट्रेक्चर अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंज़ीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं जिसके के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई गयी जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों आदि का मुआवजा निर्धारण किया गया। RFCTLARR 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण आंगणित करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया है। जो परिसम्पत्तियों सरकारी भूमि में स्थित है, उन पर तोषण देय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवाई के आधार पर स्ट्रेक्चर कोड नम्बर DB-261 (LHS) में निर्मित संरचना के संबंध में भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के हक में मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूरक अधिनिर्णय आदेश दिनांक 20.11.2020 के निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :—

क्रमांक	गांव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	स्ट्रक्चर कोड	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
2	सुमेलकलां	31/1278	सरकारी	DB-261 (RIIS)	राजस्थान सरकार

चैनल	नेट वैल्यू	मूल दर पर 100 प्रतिशत सोलेसियम	कुल निर्धारित प्रतिकर की धनराशी
169 +541	40478	0	40478

अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और ना ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निमार्ण किया जा रहा है जिससे अधिक दुरी को कम समय में तय किया जा सके । ईंधन / उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अर्न्तगत नियमानुसार निर्धारण किया गया है जो विधि सम्मत एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत बाधित है व चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जे – खर्चे निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध जो कि केन्द्र सरकार के उपक्रम है को विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का भी कोई नोटिस नहीं दिया है जिस कारण से प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3डी के नोटिफिकेशन के पश्चात् भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थी द्वारा केन्द्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है मात्र इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त नहीं किया गया तथा प्रार्थी गण के उक्त प्रार्थना–पत्र में आगे कार्यवाही की गई तो यह प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सरसरी तौर पर निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 2 को हैरान व परेशान करने की बदनीयत से किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों का जो मुआवजा राशि पूरक अधिनिर्णय आदेश दिनांक 20.11.2020 के द्वारा निर्धारित की गई है वह पूर्णतया विधि के प्रावधानों के अंतर्गत ही निर्धारित की गई है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित अवार्ड आदेश राजस्व रिकार्ड में भूमि सरकारी दर्ज होने से राजस्थान सरकार के नाम अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम सुमेल कलां तहसील बसवा स्थित स्ट्रक्चर संख्या डी0बी0 261 आरएचएस खसरा नंबर 31/1278 में स्थित है। उक्त भूमि राजस्थान सरकार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस स्ट्रक्चर को राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त किया गया है। अवाप्तशुदा स्ट्रक्चरों का ड्राफ्ट अवार्ड को संबंधित पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार बसवा द्वारा जांच कर प्रमाणित किये जाने के उपरांत दिनांक 20.11.2020 को स्ट्रक्चर का अवार्ड पूर्ण विधिवत प्रकिया पूर्ण कर पारित किया गया है। उक्त स्ट्रक्चर की मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड बांदीकुई द्वारा प्रमाणित की गई है। अवार्ड के अनुसार उक्त स्ट्रक्चर का मुआवजा 40478/–रू0 निर्धारण कर राजस्थान सरकार के नाम स्वीकृत किया गया है।
7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मुख्य विवाद स्ट्रक्चर सं0 डीबी 261 आरएचएस के मुआवजे निर्धारण के संबंध में कि क्या वह प्रार्थी को दिया जावेगा अथवा राज्य सरकार को। उक्त अवार्ड की राशि के संबध में किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
9. इस संबंध में नीति इस प्रकार है:–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय के परिपत्र 7.1. 51 दिनांक 10.4.2017 के बिन्दु सं0 सी के पैरा नं0 (2) के अनुसार " There may be cases where people have been living in government land for a long period and statae government determine such persons as bonafide & genuine users of the said land. Other civic facilities like water supply, road, electricity etc. are also provided to them by the government but no ownership documents is available with them. In such cases ex-gratia mey be paid for the structure based on the valuation done by following the procedures mentioned in the above paras: provided the proposal is received through CALA Government. "
10. प्रार्थी द्वारा उप जिला कलक्टर बांदीकुई की आदेश दिनांक 7.8.2000 आदेश कमांक 648 एवं आदेश दिनांक 29.1.1999 आदेश कमांक:राजस्व/99/23 तहसीलदार बसवा प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को गै0मु0रास्ता खसरा नंबर 31/1278 के पश्चिम की ओर अपीन खातेदारी की सुरक्षा हेतु एवं कृषि विकास हेतु पक्की दीवार बनाने की अनुकृति प्रदान की गई है इससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि उक्त दीवार प्रार्थी द्वारा बनाई गई है। उक्त दीवार यदि सरकारी रास्ते पर भी बनाई गई है तो भी प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उसका खर्चा प्रार्थी द्वारा निजी रूप से किया गया है।
11. उपरोक्त नीति एवं उप जिला कलक्टर बांदीकुई एवं तहसीलदार बसवा के आदेश के मध्यनजर रखते हुए यह प्रतीत होता है कि उक्त संरचना डीबी 261 का मुआवजा प्रार्थी को दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर,दौसा

उचित है। उक्त मुआवजे पर किसी प्रकार का कोई सोलेशियम देय नहीं होगा क्योंकि उक्त संरचना सरकारी रास्ते पर निर्मित है।

12. अतः प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई को इस आशय से रिमांड किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करते हुए कि उक्त संरचना के संबंध में स्वयं को संतुष्ठ करते हुए कि उस पर कोई राजकीय व्यय नहीं हुआ है तो उसका मुआवजा प्रार्थी को दिया जाने के संबंध में आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:23 IST
Reason: SelfAttested